<u>अध्यक्ष के नामनिर्देशन के संबंध में प्रेस परिषद के नामिती के चयन के लिए लागू प्रेस परिषद (सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया) नियम, 1978 के प्रावधान</u>

परिषद के अध्यक्ष का चयन करने के लिए गठित समिति के लिए प्रेस परिषद के नामिती (सदस्य प्रतिनिधि) के चयन के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 (6) के साथ पठनीय प्रेस परिषद (सदस्यों के नामनिर्देशन की प्रक्रिया) नियम, 1978 के नियम 5 के तहत प्रावधान है।

धारा 5 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिए प्रक्रियाएं

उप नियम (1) धारा 5 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समिति का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने के प्रयोजनार्थ उक्त धारा की उप-धारा (5) के अधीन अधिसूचित परिषद के सदस्यों की बैठक प्रथम परिषद की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा और किसी पश्चातवर्ती परिषद की दशा में सचिव द्वारा उन सभी सदस्यों को कम से कम दस दिन की लिखित सूचना देते हुए बुलाई जाएगी जिसमें बैठक की तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट होंगे।

उप नियम (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिषद के सदस्य अपने में से गुप्त मतदान द्वारा

ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे जो धारा 5 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समिति का सदस्य होगा।

उप नियम (3) उपनियम (2) के अधीन निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य का नाम, सदस्य परिषद की बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा, ऐसे निर्वाचन के सात दिन के भीतर राज्य सभा के अध्यक्ष को संसूचित किया जाएगा।

*****